# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—69/2026/225 आर.टी.एक्ट (2026/69)**

1. मोहम्मद मुस्ताक पुत्र अती मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास मूसदा तहसील मूसदा जिला ब्यावर।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा तहसील जिला ब्यावर।

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 राजस्व वाद संख्या 102/2025 (2025/346)**

**उपस्थितः—**

1. श्री सलमान खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1

## निर्णय

**दिनांकः— 08.05.2026**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 2025/346 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट मुस्ताक मोहम्मद ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष विरूद्ध रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 2025/346 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के पास अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.0647 हैक्टेयर में जाने हेतु कोई वेकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा उसके खेत पर आने जाने हेतु हमेशा से ही खसरा नम्बर 2629/1322 को उपयोग

करता आया है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता अपीलांट की आराजीयात के नहीं लगता है तथा आराजीयात में आने जाने एवं कृषि कार्य हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है इसलिए ही प्राथी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय बिना कोई फाईंडिग दिए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि तहसीलदार की रिर्पोट में खसरा नम्बर 2629/1322 में मोके पर नाडी बनी हुई है सरासर गलत अंकित किया क्योंकि तहसीलदार रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलांट के पास अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु नजदीक एवं सुविधाजनक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2629/1322 ही है जो नाडीनुमा क्षेत्र है ना कि नाडी अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय ने मोका रिपोर्ट का स्पष्ट तौर पर बिना अवलोकन किए ही प्रार्थी/अपीलांट के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने तथा उसे रास्ते की अत्यंत आवश्यकता होने बाबत समस्त तथ्यों को बिना गौर किए जो की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट थे किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि प्रार्थी के पास उसकी आराजीयात से लगता हुआ अन्य कोई मार्ग मौजूद नहीं है तथा प्रार्थी/अपीलांट के खेतों में पहुंचने का एकमात्र एवं लघुत्तम एवं निकट रास्ता खसरा नम्बर 2629/1322 में से निकलता हुआ सडक पर मिलता है इसलिए रास्ता दिया जाना आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट, दस्तावेजी तथ्यों, नक्शों का अवलोकन किए बिना ही सरसरी तौर पर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि जब वर्तमान में सडक के किनारे पानी भरा हुआ है जबकि वर्तमान में ना तो रास्ते की आराजीयात पर कोई पानी भरा हुआ है ना ही वहां कोई नाडी विद्यमान है बल्कि प्रार्थी खसरा नम्बर 2629/1322 में से आता जाता रहा है उसके पास कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है उपरोक्त समस्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया कि प्रार्थी/अपीलांट के पास कौन सा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिससे वह आवागमन करेगा तथा भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा तैयार रिपोर्ट में भी पैरा संख्या 4 में स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी/अपीलांट के पास वेकल्पिक मार्ग नहीं है प्रार्थी/अपीलांट को रास्त की अत्यधिक आवश्यकता है उपरोक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि 251 ए में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि कोई भी अभिधारी अपने जोत तक पहुंचने के लिए रास्ते के बाबत आवेदन कर सकता है तथा रास्ते के बाबत अत्यांतिक आवश्यकता साबित करते हुए नया मार्ग तरमीम करवा सकता है किन्तु उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 251 ए के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता सिद्ध करने एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध करने के बाजवूद अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला

ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 2025/346 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि खसरा नम्बर 2629/1322 मौके पर नाडी बनी हुई है एवं वर्तमान समय में सडक के किनारे तक पानी भरा हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा जो रास्ता खसरा नम्बर 2629/1322 में होने बाबत पेश किया गया है, उसमें वर्तमान में नाडी व पानी भरे होने के तथ्य पाए जाते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त भूमि में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाए जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 18.12.2025 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजीयात खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.0647 में आवागमन हेतु रास्ता सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2629/1322 गै0मु0 चट्टान में से होकर चाहा गया।

तहसीलदार द्वारा इस संबंध में दिनांक 13.11.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट की बिंदु संख्या 1 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी/अपीलांट के पास अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1340 में आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। बिंदु संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1340 में आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 2629/1322 किस्म गै0मु0 चट्टान का उपयोग करता है जो कि मौके पर नाडीनुमा व जलभराव क्षेत्र है, जिसमें बारिश के दिनों में पूर्णतः जलभराव रहता है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के विपरीत प्रकरण में आदेश पारित किया गया। जबकि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2629/1322 में से रास्ता दिए जाने बाबत प्रभावित रकबे **0.0312** व डीएलसी दर **536000/–** का भी अंकन किया गया है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि खसरा नम्बर 2629/1322 में जल भराव हर समय रहता है या केवल वर्षा ऋतु में ही कुछ समय तक रहता है। तहसीलदार को मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए था कि खसरा नम्बर 2629/1322 में से रास्ता देने में क्या प्राकृतिक बाधा उत्पन्न हो रही है। मौका रिपोर्ट में जब स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी के पास आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है तो तहसीलदार द्वारा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 1340 में

आवागमन हेतु अनुसरण कर उसका उल्लेख मौका रिपोर्ट में करना चाहिए था, परंतु तहसीलदार द्वारा वैकल्पिक मार्ग बाबत कोई उल्लेख अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मूल भावना यही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपनी आराजीयात पर पहुंच हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध हो। अतः वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

*उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।*

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 2025/346 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि खसरा नम्बर 2629/1322 के जलभराव की स्पष्ट मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर व खसरा नम्बर 1340 में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग को अपनी मौका रिपोर्ट में व नजरी नक्शे में दर्शाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में वर्णित बिंदु यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 3(51)राज–6/2026/29 दिनांक 29.04.2026 का भलीभांति अवलोकन करते हुए क्या राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र वर्तमान प्रकरण पर लागू होता है या नहीं उसको ध्यान में रखकर पुनः न्याय संगत व विधि संगत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.06.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**